



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2020-भाद्र 27, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) CIN: U40109MP2001SGC014880

मुख्य अभियन्ता(योजना एवं रूपांकन)

जबलपुर, दिनांक 07 सितम्बर, 2020

क्र.-04-02/195/यो.रूपां./1476.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमड ट्रांसमिशन लाईसेंस) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अतिउच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढीकरण के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) **नाम :** ये परियोजनायें 132 किलोवोल्ट (के.व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.
- (2) **परियोजनाओं का विवरण :** परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

(I) 132 के.व्ही. लाईन का निर्माण कार्य :-

1. 132 के.व्ही. उपकेंद्र कुक्षी (प्रस्तावित 220 के.व्ही उपकेंद्र) के सुदृढीकरण हेतु विद्यमान 132 के.व्ही डीसीएसएस कुक्षी-मनावर लाईन के द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य, लंबाई 37 कि.मि. (द्वितीय परिपथ), अनुमानित लागत-772.45 लाख रु.
2. 132 के.व्ही. उपकेंद्र खण्डवा को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु विद्यमान 132 के.व्ही. डीसीएसएस छैगांव (400)-सिंगोट लाइन के टेपिंग प्वाइंट तक द्वितीय परिपथ का निर्माण तत्पश्चात् टेपिंग प्वाइंट से 132 के.व्ही उपकेंद्र खंडवा तक नवीन 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-5.0 कि.मी. (नवीन लाइन)+26कि.मी. (द्वितीय परिपथ) अनुमानित लागत-984.51 लाख रु.

(II) कुल अनुमानित लागत :-

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 17.57 करोड़ है.

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

एस. के. गायकवाड़,

मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.),
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर..

(194-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती निर्मला चौबे पत्नी स्व. श्री हरीश प्रसाद चौबे सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरी पुत्री का नाम राशि चौबे है जबकि गलती से उसके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में राशि चतुर्वेदी पुत्री हरीश चतुर्वेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है. वर्तमान मेरी पुत्री राशि चौबे पुत्री स्व. श्री हरीश प्रसाद चौबे के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती है. अतः उसके सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में उसका नाम राशि चतुर्वेदी पुत्री श्री हरीश चतुर्वेदी के स्थान पर राशि चौबे पुत्री स्व. श्री हरीश प्रसाद चौबे लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

निर्मला चौबे,

29, जनकपुरी सिन्धी कॉलोनी कम्पू, ग्वालियर (म.प्र.).

(196-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, भजन सिंह पुत्र श्री छोटे सिंह बघेले सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम हर भजन सिंह था जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 204208222 एवं 204208223 में मेरा पूर्व का नाम हर भजन सिंह लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड आदि में मेरा नाम भजन सिंह अंकित है एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा. भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 204208222 एवं 204208223 में मेरा पूर्व का नाम हर भजन सिंह लिखा गया है जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 204208222 एवं 204208223 में मेरा सही नाम भजन सिंह पुत्र श्री छोटे सिंह बघेले लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(हर भजन सिंह)

नया नाम :

(भजन सिंह)

श्री छोटे सिंह बघेले,
पता-किलागेट आऊ खाना घासमंडी,
ग्वालियर (म.प्र.).

(198-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का बोल-चाल का नाम माधव जयसिंह पुत्र श्री जयसिंह नरवरिया था. मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मनीष सिंह पुत्र श्री जयसिंह नरवरिया अंकित है. मुझे सभी कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये नाम मनीष सिंह पुत्र श्री जयसिंह नरवरिया के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं नाम अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

(माधव जयसिंह)

पुत्र-श्री जयसिंह नरवरिया.

नया नाम :

(मनीष सिंह)

पुत्र-श्री जयसिंह नरवरिया,

(204-बी.)

गोबर्धन कॉलोनी, गोला का मंदिर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि दीपक कुमार शुक्ल (DEEPAK KUMAR SHUKAL) पिता स्व. श्री सूरज दीन शुक्ल, उम्र लगभग 28 वर्ष के शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों एवं पहचानपत्रों में दीपक कुमार, दीपक शुक्ल, दीपक कुमार शुक्ल एवं DEEPAK KUMAR SHAKAL भिन्न रूप में दर्ज नाम के स्थान पर आज दिनांक 07-07-2020 को सुधार करते हुये “दीपक कुमार शुक्ल” (DEEPAK KUMAR SHUKAL) जाति-डुमार पढ़ा-लिखा, जाना, पहचाना व समझा जावे.

पुराना नाम :

(दीपक कुमार/दीपक शुक्ल/दीपक कुमार शुक्ल)
DEEPAK KUMAR SHAKAL

(207-बी.)

नया नाम :

(दीपक कुमार शुक्ल)
DEEPAK KUMAR SHUKAL

जाति-डुमार,

निवासी-305/8, अपर लाईन रेलवे कॉलोनी,
रेलवे स्कूल के पास, साउथ सिविल लाईन, लमटी,
जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमती निशा शुक्ल (MRS. NISHA SHUKAL) पिता स्व. श्री सूरज दीन शुक्ल, उम्र लगभग 47 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी, जाति डुमार के शासकीय, दस्तावेजों/अभिलेखों एवं पहचान पत्रों में निशा, निशा देवी, निशा बाई एवं निशा शुक्ल भिन्न रूप से दर्ज नाम को आज दिनांक 07-07-2020 को सुधार कर “श्रीमती निशा शुक्ल” (MRS. NISHA SHUKAL) पढ़ा, लिखा, जाना, पहचाना व समझा जावे.

पुराना नाम :

(निशा/निशा देवी/निशा बाई/निशा शुक्ल)

(208-बी.)

नया नाम :

(निशा शुक्ल)
NISHA SHUKAL,

निवासी-305/8, अपर लाईन रेलवे कॉलोनी,
रेलवे स्कूल के पास, साउथ सिविल लाईन, लमटी,
जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम राजश्री राजपाल पिता नरेश कुमार राजपाल था. जो अब परिवर्तित होकर नया नाम काव्या परियाणि पति सुनील परियाणि हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम काव्या परियाणि पति सुनील परियाणि से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(राजश्री राजपाल)

(205-बी.)

नया नाम :

(काव्या परियाणि)

W/o-सुनील परियाणि,
पता-26, शहीद हेमु कॉलोनी किला मैदान रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

All concerned to note that earlier I was being known as Lokesh Chouhan, but now I have changed my name as Lucky Arora, resident of LIG 9/6, Vishwakarma Nagar, Karond, Bhopal (M.P.) Hence I should be known with my changed name as Lucky Arora.

Old Name :

(LOKESH CHOUHAN)

(201-B.)

New Name :

(LUCKY ARORA)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रहीसुदीन सिद्दीकी पिता शेख हबीबुल्लाह, स्थाई निवास 92/33 आजाद मार्ग घोघर, रीवा (म.प्र.) का निवासी हूँ, यह कि मेरे और मेरे पुत्र वसीमुद्दीन खान (जन्मतिथि-18-07-1985), पुत्री सबीना (जन्मतिथि-28-05-1987) एवं पुत्री जेबा खान (जन्मतिथि-14-12-1989) के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम रईसुद्दीन, रईसुद्दीन सिद्दीकी, रईसुद्दीन खान अंकित हो गये हैं, साथ ही मेरे हायर सेकेंडरी की अंकसूची एवं वोटर आई.डी. में मात्र रहीसुद्दीन अंकित है, जबकि मेरे सेवा अभिलेख, निवास, आधार पैनकार्ड, पासपोर्ट एवं स्नातक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में मेरा नाम रहीसुद्दीन सिद्दीकी पिता शेख हबीबुल्लाह दर्ज है, जो कि सत्य व सही है एवं इसी नाम से हस्ताक्षर करता हूँ अतः भविष्य में मुझे रहीसुद्दीन सिद्दीकी पिता शेख हबीबुल्लाह के नाम से जाना जाये एवं मेरे और मेरे तीनों संतानों वसीमुद्दीन खान, सबीना, जेबा खान के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुधार कर रहीसुद्दीन सिद्दीकी पढ़ा और लिखा जावे।

पुराना नाम :

(रईसुद्दीन, रईसुद्दीन सिद्दीकी, रईसुद्दीन खान)

(211-बी.)

नया नाम :

(रहीसुद्दीन सिद्दीकी)

पिता-शेख हबीबुल्लाह,

92/33, आजाद मार्ग, घोघर, रीवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रागिनी मिश्रा के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था एवं मेरा सभी अंकसूचियों में नाम रागिनी मिश्रा है। मेरी शादी वर्ष 2012 में जीतेन्द्र कुमार व्यास के साथ संपन्न हुई थी। अब मेरा नाम रागिनी पति जीतेन्द्र कुमार व्यास हो गया है। अब मेरा नाम रागिनी व्यास के नाम से जाना, पहचाना एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(रागिनी मिश्रा)

निवासी-वार्ड नं. 2, सौत रोड,

रघुनंदन विहार, कॉलोनी,

छत्तरपुर (म.प्र.).

(213-बी.)

नया नाम :

(रागिनी व्यास)

पति-जीतेन्द्र व्यास,

पता-रागिनी जीतेन्द्र व्यास जटाशंकर पैलेस,

नजरबाग, गली नं. 3 छत्तरपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा प्रथम विवाह के समय मेरा नाम मुस्कान आडवानी था। मेरे पूर्व पति विजय आडवानी की मृत्यु पश्चात् मैंने अब दूसरा विवाह श्री राजेन्द्र तुलसानी पुत्र स्व. श्री भोजराज तुलसानी, निवासी- समाधिया कॉलोनी, शिवा प्लाजा, ग्वालियर से कर लिया है। अब विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम बदलकर श्रीमती अंजली तुलसानी रख लिया है। अब मुझे सभी दस्तावेजों एवं वर्तमान में इसी नाम श्रीमती अंजली तुलसानी पत्नी श्री राजेन्द्र तुलसानी के नाम से ही जाना, पहचाना जावे। सूचित हों।

पुराना नाम :

(मुस्कान आडवानी)

पति स्व. विजय आडवानी.

(209-बी.)

नया नाम :

(अंजली तुलसानी)

पत्नी श्री राजेन्द्र तुलसानी,

निवासी- समाधिया कॉलोनी, शिव प्लाजा, ग्वालियर

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अभी तक मुझे सोनू शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा के नाम से जाना जाता है। मैं, ग्राम व पोस्ट करसेना, तहसील व जिला शिवपुरी व हाल निवासी बाबू क्वार्टर रोड, प्रजापति मंदिर के पास कमलागंज शिवपुरी, तहसील एवं जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हूँ। मैंने अब अपना नाम बदलकर समर्थ भारद्वाज पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(सोनू शर्मा)

पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा.

(210-बी.)

नया नाम :

(समर्थ भारद्वाज)

पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मिट्ठूलाल मालवीय पिता स्व. श्री पर्वत सिंह, आयु 60 वर्ष है। मेरी सर्विस बुक बी.एस.एन.एल. के रिकार्ड में मेरा नाम मिट्ठूलाल दर्ज है। मेरा पूरा नाम मिट्ठूलाल मालवीय है। मैं सर्विस रिकार्ड में अपना पूरा नाम मिट्ठूलाल मालवीय दर्ज करवाना चाहता हूँ। सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में मेरा नाम मिट्ठूलाल मालवीय दर्ज है। आज से मुझे मिट्ठूलाल मालवीय के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(मिट्ठूलाल)

(212-बी.)

नया नाम :

(मिट्ठूलाल मालवीय)

म.नं.-13, ग्राम खारखेड़ी, खजूरीसड़क,
भोपाल- 462030.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री यामिनी अग्रवाल के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश ब्रजेश अग्रवाल (BRIJESH AGARWAL) लिखा गया है, जबकि मेरा सही व पूरा नाम ब्रजेश कुमार अग्रवाल (BRIJESH KUMAR AGARWAL) है। जो कि मेरे समस्त दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में दर्ज है। अतः मेरी पुत्री के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम ब्रजेश कुमार अग्रवाल पढ़ा- लिखा व समझा जाये। ब्रजेश अग्रवाल व ब्रजेश कुमार अग्रवाल एक ही व्यक्ति है। अतः मुझे ब्रजेश कुमार अग्रवाल के नास से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(ब्रजेश अग्रवाल)
(BRIJESH AGARWAL)

(217-बी.)

नया नाम :

(ब्रजेश कुमार अग्रवाल)
(BRIJESH KUMAR AGARWAL)पुत्र स्व. श्री सीताराम अग्रवाल,
बालाबाई का बाजार, दौलतगंज, ग्वालियर- 474001.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स उत्तम इन्फ्रा एण्ड बिल्डर्स, ए/4, न्यू राम नगर, आधारताल, जबलपुर म.प्र. पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0170/19, दिनांक 19-11-2019 को पंजीकृत है। उक्त फर्म में शुरू में 1. श्री रितु ध्वज अग्रवाल पिता श्री उत्तमचंद अग्रवाल, 2. श्री उत्तमचंद अग्रवाल पिता स्व. श्री शंकरलाल अग्रवाल भागीदार थे। जिसमें से दिनांक 24 जून, 2020 को 1. श्री उत्तमचंद अग्रवाल स्वेच्छा से अलग हो गए हैं तथा श्री सौरभ बड़ेरिया पिता श्री शम्भुदयाल बड़ेरिया आपसी सहमति से सम्मिलित हो गये हैं वर्तमान में फर्म के कुल 3 भागीदार हैं। 1. श्री रितु ध्वज अग्रवाल, 2. श्री सौरभ बड़ेरिया, 3. श्री राजीव बड़ेरिया। अतः किसी फर्म/संस्था/व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 7 दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

उत्तम इन्फ्रा एण्ड बिल्डर्स,
रितुध्वज अग्रवाल,
(भागीदार)

(195-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/s RAMSHREE PHARMACY, 01, C/O RAMSHREE HOSPITAL, NEAR BHUSH KI TAAL, DD NAGAR, GOLE KA MANDIR, GWALIOR (M.P.) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0113/19 पंजीयन दिनांक 22-07-2019 में से साझेदार SANYUKTA SHRIVASTAVA S/O SHRI SHASHANK BARGALE, CITY CENTER, GWALIOR (M.P.) ने दिनांक 29-07-2020 से पदभार छोड़ दिया है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

RAMSHREE PHARMACY,
गिरीश समाधिया,
(पार्टनर)

(206-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ब्लू लोटर्स लैण्ड एण्ड डेवलपर्स फर्म स्थित कृष्णाकुंज, गांधी रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00084/09, दिनांक 27-08-2009 है। जिसमें दिनांक 01-11-2019 को (1) श्री हर्षुल अग्रवाल पुत्र पवन अग्रवाल,

(2) मैसर्स सुनील अग्रवाल एचयूएफ कर्ता सुनील अग्रवाल, को फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक से 1. श्री अंकित सिंघल पुत्र हरीओम सिंघल, 2. श्री संजय अरोरा पुत्र स्व. आर. पी. अरोरा, स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से फर्म का नवीन रजिस्टर्ड आफिस लि. ग्राण्डिओस, नियर गरडानिया डोंगरपुर, ग्वालियर (म.प्र.) हो गया है. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स ब्लू लोटर्स लैण्ड एण्ड डब्लपर्स फर्म,

महेश भारद्वाज,

(भागीदार).

पता-लि ग्राण्डिओस, नियर गरडानिया डोंगरपुर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(202-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/S VARDHMAN TEXTILES रजिस्टर्ड पता-856, जवाहरगंज, जबलपुर (म.प्र.) है. जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00086/10 एवं पंजीयन तिथि 22-06-2010 है. इस फर्म को पार्टनर क्रमांक-1 श्रीमती सुनीता जैन एवं पार्टनर क्रमांक-2, श्री सतीश चंद जैन द्वारा स्थापित किया गया था जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और सोसायटी, जबलपुर मध्यप्रदेश में पंजीकृत है. इस फर्म में निम्न परिवर्तन हुए हैं जो सूचनार्थ है. परिवर्तन क्रमांक-1, दिनांक 01-04-2017 को पार्टनर श्री सतीश चंद जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से निवृत्त हो चुके हैं एवं उनकी जगह श्री सन्देश जैन, नए पार्टनर के रूप में इस फर्म में दिनांक 01-04-2017 को ही सम्मिलित हो चुके हैं. परिवर्तन क्रमांक-2 दिनांक 01-08-2020 को इस फर्म का नाम बदलकर नया नाम M/S SHREE VARDHMAN हो गया है. अतः भविष्य में यह फर्म M/S SHREE VARDHMAN के नाम से ही जानी जाएगी एवं समस्त लेनदेन M/S SHREE VARDHMAN के नाम से ही करेगी. इस फर्म का वर्तमान स्वरूप M/S SHREE VARDHMAN पार्टनर क्रमांक-1, श्रीमती सुनीता जैन एवं पार्टनर क्रमांक-2, श्री सन्देश जैन एवं रजिस्टर्ड, पता-856, जवाहरगंज, जबलपुर (म.प्र.) होगा.

M/S SHREE VARDHMAN,

सुनीता जैन, सन्देश जैन,

(पार्टनर).

(203-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बी जी डीजल, फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 02/44/01/0238/17, दिनांक 15-12-2017 एवं फर्म का पता-1, ग्राम करुआ जडेरुआ ए. बी. रोड, जिला मुरैना-477001 है. जिसमें भागीदार विनोद शुक्ला पुत्र श्री मुरारीलाल शुक्ला, निवासी एच-808, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी, मुरैना (म.प्र.) जो कि फर्म में 50 प्रतिशत के भागीदार हैं जो अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं. चूंकि फर्म में दो भागीदार में से एक कि पृथक् हो जाने के कारण फर्म स्वतः भंग हो गई है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 20 दिन के अंदर नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें.

मैसर्स बी जी डीजल,

विकास शर्मा ,

(भागीदार).

पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी,

ग्वालियर (म.प्र.) 474001.

(166-बी.)

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Miss Deepali Agrawal D/o Shri Jitendra Kumar Agrawal, retired from the partnership business of the firm M/s Shivshankar Udhyog, 159, sajan nagar, Indore, (M.P.) vide reg. No. 2111, Dated 09-01-1979, Year 1978-79 as from 01-04-2020 and Miss Monali Agrawal D/o Shri Jitendra Kumar Agrawal has been admitted as partner in the firm as from 1st day of April, 2020 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For-M/s Shivshankar Udhyog,

JITENDRA KUMAR AGRAWAL,

(Partner).

(199-B.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स लक्ष्मी डेवलपर्स (भागीदारी फर्म) जिसका गठन 05-05-2014 को 85, गोंदा की चौकी, उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय पर हुआ था एवं उक्त फर्म का पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00025/14 है। गठन के समय फर्म में 2 भागीदार थे- 1. श्री अमित चोपड़ा पिता श्री विजेंद्र चोपड़ा एवं 2. श्री विजय शर्मा पिता श्री शंकर लाल शर्मा। फर्म में दिनांक 15/05/2015 को संशोधन विलेख के माध्यम से श्री विजेंद्र चोपड़ा पिता श्री मिश्री माल चोपड़ा को भागीदारी फर्म में शामिल किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 15-05-2015 को ही, एक भागीदार श्री विजय शर्मा पिता श्री शंकर लालजी शर्मा फर्म से निवृत्त हो गए हैं, साथ ही फर्म का पंजीकृत कार्यालय भी नए स्थान पे स्थानांतरित किया गया। भागीदारी विलेख में संशोधन 15-05-2015 से प्रभावशील हो गया है।

दिनांक 15-05-2015 को भागीदारी संशोधन विलेख के पश्चात वर्तमान में फर्म मेसर्स लक्ष्मी डेवलपर्स में दो भागीदार हैं। 1. श्री अमित चोपड़ा पिता श्री विजेंद्र चोपड़ा एवं 2. श्री विजेंद्र चोपड़ा पिता श्री मिश्री माल चोपड़ा एवं फर्म का पंजीकृत कार्यालय 223/3/6, गांधी नगर, न्यू साईनाथ डेयरी के सामने, नानाखेड़ा रोड, उज्जैन (म.प्र.) है।

For JSS & Co.

CA-JEETENDRAKUMARTHANI,

(Partner).

(197-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै., हरयाना बीड़ी उद्योग के एक पार्टनर हेमदत्त धौलाखण्डी की मृत्यु के उपरांत उक्त फर्म में भागीदार के रूप में श्रीमती शैलजा धौलाखण्डी पत्नी गोपालदत्त धौलाखण्डी शामिल हो गई हैं। तदनुसार हरयाना बीड़ी उद्योग फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एआरजी फर्म 278 सन् 2000 है के वर्तमान में गोपालदत्त धौलाखण्डी एवं श्रीमती शैलजा धौलाखण्डी मात्र पार्टनर हैं। इस संबंध में नया भागीदारी विलेख विधिवत् संपादित हो चुका है।

For M/S Haryana.

गोपालदत्त धौलाखण्डी,

(द्वारा-पार्टनर).

(200-बी.)

NOTICE

U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms " M/s NISHPAKSH ADD CREATION" of Bhopal *Vide* Reg. No. 01/07/07/00151/18, 2018-19, Date of Registration 08-08-2018 undergone the following changes:-

1. That Smt. Sadhana Mishra W/o Shri Anil Mishra has desire to join the firm and remaining partners are agree with them *w.e.f.* 31-07-2020 and Shri. Sunil Yadav S/o Shri Ram Vilas Yadav has desire to retire from the partnership firm and principal place of Business of the firm is now shifted at H.No. 07, Ward No.14, Sohan Lal Marg, Seoni Malwa, Hoshangabad (M.P.) *w.e.f.* 01-08-2020.

"M/S Nishpaksh Add Creation"

SHASHANK MISHRA,

(Partner).

(214-B.)

NOTICE

U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm " M.P. BUILDERS & DEVELOPERS" of Bhopal *Vide* Reg. No. 01/01/01/00277/13/ सन् 2013-14, Dated 07-10-2013 undergone the following changes:-

1. That Shri. Revaram Lodhi S/o Late Shri. M.L. Lodhi, has expired on 06-01-2020 leaving the other partners have decided that in place of the deceased partner they shall induct his Son Shri. Udeep Lodhi S/o Late Shri Revaram Lodhi, Smt. Jamuna Bai W/o Late Shri Revaram Lodhi, Smt. Rubi Lodhi W/o Brajendra Lodhi and D/o Late Shri Revaram Lodhi, Smt. Rani Lodhi W/o Shri Veerendra Singh Lodhi and D/o Late Shri Revaram Lodhi, as a partner in to the business of firm, *w.e.f.* 11-02-2020.

"M.P. Builders & Developers"

MAN SINGH RAJPUT,

(Partner).

(215-B.)

NOTICE**U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "Taj Auto Repairing Center" of Itarsi *Vide* Reg. No. 392/1994-95 Dated 07-11-1994 undergone the following changes:-

1. That Mohd. Javed Khan S/o Mohd. Shafi Khan, has expired on 10-08-2019 leaving the other partners have decided that in place of the deceased partner they shall induct his wife Sheeba Khan W/o Late Mohd. Javed Khan, as a partner in to the business of firm, *w.e.f.* 10-08-2020.

"Taj Auto Repairing Center "
Mohd. Fakar Khan,

(216-B.)

(Partner).

विविध**निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2020

ई-निविदा सूचना

क्र. जी. पी.आर./दो/8/2/0008/2020/1292.— स्प्रिंग फाईल विथ स्टैण्ड के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक निर्माता, विक्रेता एवं प्रदायकर्ता फर्मों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से ऑनलाइन निविदाएं दिनांक 28 सितम्बर, 2020 अपराह्न 1.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

- ऑनलाइन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाइन तकनीकी भाग को दिनांक 29-09-2020 को अपराह्न 02.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.
- किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mptenders.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी.

व्ही. के. सिंह,

उप-नियंत्रक,

वास्ते नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश भोपाल.

(1011)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खरगौन**

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमंडल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2020 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:-

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
	रोपण का प्रकार	रोपण क्षेत्र		
1	2	3	4	5
(हेक्टेयर में)				
वर्ष 2016				
1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411 100.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440 80.000
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1157 100.000
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1096 30.000
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	हाथीगुडिया	553 30.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	कुम्हारबेडी	585 30.000
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	रूलीबड	1110 20.000
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	उमरिया	1130 30.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	476 60.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	485 50.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492 40.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	515 60.00
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	536 80.000
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	617 40.000
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650 30.000
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	663 60.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	674 50.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	689 70.000
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	930 60.000
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	927 40.000
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्द्रान्या	910 30.000
22.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	761 50.000
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863 35.000
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857 50.000
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	808 35.000
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806 38.000
27.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	833 30.000
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038 90.000
29.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084 40.000
30.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421 60.000
31.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135 90.000
32.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408 60.000
33.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमल्यापानी	1148 100.000
34.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447 75.000
35.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	459 100.000
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090 40.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
37.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128 50.000
38.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रूपगढ	512 40.000
39.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	546 30.000
40.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570 50.000
41.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबैडी	587 30.000
42.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	काबरी	467 50.000
43.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	630 150.000
44.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	652 25.000
45.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	701 50.000
46.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मुराला	1022 50.000
47.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1032 90.000
48.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1037 110.000
49.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054 50.000
50.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049 30.000
51.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1068 110.000
52.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1008 75.000
53.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1015 50.000
54.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992 25.000
55.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	1000 150.000
56.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	968 140.000
57.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	976 40.000
58.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सुन्देल	961 40.000
59.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	घोडी खुर्द	711 15.000
60.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मोरदड़	722 25.000
61.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729 90.000
62.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	माण्डवा	745 45.000
63.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चिरीया	748 40.000
64.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	939 25.000
65.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	बेरछा	955 50.000
66.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773 40.000
67.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888 14.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
68.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877 11.000
69.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852 30.000
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	789 30.000
71.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	788 40.000
72.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन वृत्त	कुन्दा	605 60.000
73.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त	अनेर	1092 30.000
74.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण	--	970 50.000
75.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	--	915 50.000
76.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	--	734 50.000
77.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण	--	1042 25.000
78.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	--	1062 50.000
79.	भीकनगांव	बांस रोपण	--	951 50.000
80.	बिस्टान	बांस रोपण	--	657 100.000
81.	सिरवेल	बांस रोपण	--	598 25.000
82.	सिरवेल	बांस रोपण	--	579 50.000
वर्ष 2017				
1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	426 100.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	444 80.00
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1158 70.00
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1097 50.00
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	555 35.00
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेडा	589 30.00
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1111 25.00
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोखरअम्बा	1131 30.00
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	476 60.00
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मुवासमाल	486 60.00
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	499 60.00
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ	516 80.00
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	534 100.00
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	572 70.00
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	653 50.00
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	664 50.00
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	675 60.00
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	690 100.00

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	931 30.00
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	929 40.00
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोदरान्या	912 90.00
22.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखुंट	764 50.00
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	867 70.00
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाडग्याम	873 40.00
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	809 60.00
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	828 100.00
27.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	634 80.00
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	दसनावल	1039 15.00
29.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	तलकपुरा	1076 95.00
30.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	महादेवपडावा	423 80.00
31.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	जलालाबाद	1136 80.00
32.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	बीजागढ़	409 75.00
33.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	आमल्यापानी	1149 30.00
34.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	देवनल्या	448 70.00
35.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सेमल्यापडावा	462 50.00
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मोहनपुरा	1115 40.00
37.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	झामटा	1129 40.00
38.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	रूपगढ	513 25.00
39.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सिरवेल	547 30.00
40.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पलासखुंट	579 25.00
41.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	कुम्हारबेडी	590 30.00
42.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	काबरी	478 70.00
43.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पिपलझोपा	631 100.00
44.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	देवझिरी	681 40.00
45.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	जामुनपाटी	702 50.00
46.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मुराला	1023 110.00
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मुलठान	1032 12.00
48.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चंदनपुरी	1045 60.00
49.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चिचलाय	1060 110.00
50.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सावदा	1055 50.00
51.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	डोलानी	1069 80.00
52.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पाडल्या	1009 70.00

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
53.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	रतनपुर	1016 100.00
54.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	पोखरखुर्द	997 110.00
55.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	रोडिया	1001 25.00
56.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	कांझरकपासी	969 90.00
57.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	पत्थरवाडा	977 30.00
58.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	पिपल्या	953 20.00
59.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	सुन्डैल	963 15.00
60.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	घोडीखुर्द	712 30.00
61.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	चिरीया	752 25.00
62.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	सपाटिया	730 90.00
63.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	मोरदड	723 20.00
64.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	नहालदरी	901 40.00
65.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	बेरछा	956 10.00
66.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	अंबाडोचर	940 20.00
67.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	मांडवा	745 40.00
68.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	चौपाली	774 40.00
69.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	बोरवाल	837 80.00
70.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	पलासपानी	865 80.00
71.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	सत्तापिपरी	823 80.00
72.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास योजना	गुवाडा	790 80.00
73.	बिस्टान	नदी तटीय प्रबंधन वृत्त	राजमली	607 50.00
74.	सिरवेल	नदी तटीय प्रबंधन वृत्त	पलासखुंट	599 30.00
75.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण	--	1078 50.00
76.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	--	1026 50.00
77.	बिस्टान	मिश्रित वृक्षारोपण	--	649 50.00
78.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण	--	966 50.00
79.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण	--	999 50.00
80.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	--	915 50.00
81.	कसरावद	बांस वृक्षारोपण	--	1062 50.00
82.	तितरान्या	बांस वृक्षारोपण	--	906 25.00
वर्ष 2018				
1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	426 100.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	444 80.000
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1158 70.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
4.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	प्लासपाली	867 70.000
5.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाडग्याम	873 40.000
6.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सतताली	809 61.000
7.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बेरवाल	834 80.000
8.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रुपगढ़	513 25.000
9.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	547 25.000
10.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूट	579 25.000
11.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबर्डी	590 25.000
12.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	631 85.000
13.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1009 50.000
14.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखरखुर्द	997 50.000
15.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सातपाटी	730 90.000
16.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	956 10.000
17.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	774 40.000
18.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	837 80.000
19.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	865 60.000
20.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	823 80.000
21.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	790 45.000
22.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धुपा	803 59.100
23.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण	तलकपुरा	1081 40.000
24.	बरूड	मिश्रित वृक्षारोपण	पिपल्याबावडी	459 50.000
25.	कसरावद	सागोन वृक्षारोपण	चिचलाय	1063 50.000

वर्ष 2019

1.	कसरावद	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन मिश्रित वृक्षारोपण	उमरदड	1026 50.00
2.	भीकनगांव	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन मिश्रित वृक्षारोपण	रोडिया	998 100.00
3.	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	487 50.00
4.	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	609 40.00
5.	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	655 60.00
6.	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	जामली	667 60.00
7.	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	692 70.00
8.	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	मेडागढ	776 35.00
9.	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	477 35.00
10.	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	बोदरान्या	913 100.00

1	2	3	4	5	
				(हेक्टेयर में)	
11.	तितरान्या	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	गाडग्याम	845	50.00
12.	खरगौन	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	तकलपुरा	1078	50.00
13.	चिरीया	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	बडी	925	40.00
14.	चिरीया	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	नहालदरी	909	35.00
15.	बिस्तान	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	काबरी	467	40.00
16.	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद से शहरी वृक्षारोपण	राजपुरा	918	50.00
17.	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद से शहरी वृक्षारोपण	साईंखेडा	935	25.00
18.	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद से शहरी वृक्षारोपण	कोडियाखाल	961	25.00
19.	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद से शहरी वृक्षारोपण	बंझर	966	50.00
20.	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	701	5.00
21.	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	688	5.00
22.	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	644	5.00
23.	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	अनकवाडी	631 भाग-1	5.00
24.	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	अनकवाडी	631 भाग-2	5.00
25.	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	मुण्डिया	734	5.00
26.	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	घोडी	709 भाग-1	5.00
27.	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	घोडी	709 भाग-2	5.00
28.	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	खारवा	949 भाग-1	5.00
29.	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	खारवा	949 भाग-2	5.00
30.	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	साडली	पी-1182 भाग-1	5.00
31.	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	साडली	पी-1182 भाग-2	5.00
32.	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	पानवा	पी-1189	5.00
33.	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	बलकवाडी	1047	5.00
34.	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	अंदड	1009	5.00
35.	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	मछलग्ांव	963	5.00
36.	खरगौन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1171	5.00
37.	खरगौन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1200	5.00
38.	खरगौन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1199 भाग-1	5.00
39.	खरगौन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1199 भाग-2	5.00
40.	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जावन स्थापना	खारवा	948 भाग-1	5.00
41.	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जावन स्थापना	खारवा	948 भाग-2	5.00

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
42.	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मुण्डिया	734
43.	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गुलझिराटग्या	709
44.	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मोहनपुरा	991 भाग-1
45.	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मोहनपुरा	991 भाग-2
46.	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	रोडिया	997 भाग-1
47.	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	रोडिया	997 भाग-2
48.	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	जामन्या फाल्या	1015 भाग-1
49.	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	जामन्या फाल्या	1015 भाग-2
50.	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सातखाली	1005 भाग-2
51.	खरगौन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	दसनावल	1039
52.	खरगौन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	शाबासपुरा	1171
53.	खरगौन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सतावढ	1193
54.	खरगौन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	शाबासपुरा	1200
55.	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सामरपाट	688
56.	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	झगडी	697
57.	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	बामनपुरी	632
58.	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सामरपाट	644
59.	बरूड़	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पिपल्या बावड़ी	659 भाग-1
60.	बरूड़	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पिपल्या बावड़ी	659 भाग-2
61.	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड़	1021 भाग-1
62.	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड़	1021 भाग-2
63.	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड़	1021 भाग-3
64.	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गवला	पी-1182 भाग-1
65.	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गवला	पी-1182 भाग-2
66.	तितरान्या	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पाडल्या	877 भाग-1
67.	तितरान्या	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पाडल्या	877 भाग-2
68.	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरिया	553
69.	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	कुम्हाबेडी	583
70.	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सिरवेल	545
71.	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पलासखुट	600
72.	खरगौन	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	सेगांव	1083
73.	खरगौन	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	तलकपुरा	1078
74.	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	मछलगाना	980

जे. एस. भार्गव,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, सेंधवा

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि सेंधवा वनमण्डल में निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 01 जुलाई, 2020 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे. जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी, इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

प्रपत्र**चराई वर्ष 2019-20 चराई हेतु प्रतिबंधित वृक्षारोपण की सूची (सेंधवा वनमण्डल, सामान्य)**

परिक्षेत्र	वर्ष	चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्रों का नाम एवं कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
वर्ष 2015-16			
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI धामन्या कक्ष 508	168.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI जुनापानी कक्ष 497	124.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI महेन्द्रयापानी कक्ष 555	200.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI दुगानी कक्ष 520	97.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI मोगरियापानी कक्ष 719	108.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI बायगौर कक्ष 727	108.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI देवगड कक्ष 737	101.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI टेमली कक्ष 744	195.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI पन्नाली कक्ष 754	222.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI भडभडा कक्ष 763	98.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI पिपलोद कक्ष 774	110.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI खडीखम कक्ष 787	100.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI झेंडियामाल कक्ष 801	111.00
सेंधवा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI मोहाला कक्ष 573	71.00
धनोरा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI मुवास्या कक्ष 648	87.00
धनोरा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI रामकुल्ला कक्ष 636	133.00
योग . .			2033.00
वर्ष 2015-16			
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI उमरियापानी कक्ष 432	80.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI अडनदी कक्ष 439	114.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI खोखरी कक्ष 452	68.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI खपाडा कक्ष 458	76.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI अजगरिया कक्ष 462	81.00
योग . .			419.00

1	2	3	4
वर्ष 2015-16			
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI नवलपुरा 713	122.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI राईखेडा 577	105.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वाक्या 605	93.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI आचली 597	90.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI आचली 749	102.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI मनकुई 775	266.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सुलगाँव 795	114.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI राजमली 809	129.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सुरानी 618	98.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI कामोद 654	106.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सिरवेल 681	118.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI चाचरिया पाटी 628	103.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI रामकुल्ला 691	101.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI शिवन्या 685	129.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI कोलकी 558	120.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI किरमला 522	149.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वरला 408	106.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वरला 409	78.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सोलवन 567	130.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI दुगानी 488	120.00
धवली	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI अम्बापानी 478	66.00
धवली	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI धवली 444	69.00
योग . .			2514.00
वर्ष 2015-16			
सेंधवा	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य वनमण्डल कैम्पस सेंधवा	1.50
सेंधवा	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य सालीकला कक्ष 715	10.00
पानसेमल	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य शिवटेकरी पानसेमल	5.85
वरला	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य मोहनपडावा 539	3.50
वरला	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य हिंगवा 538	2.50
योग . .			23.35

1	2	3	4
वर्ष 2015-16			
धनोरा	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मुवास्या 658	25.00
धनोरा	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मुवास्या 652	10.00
पानसेमल	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मलगांव 728	50.00
पानसेमल	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मनकुई 775	30.00
योग . .			115.00
वर्ष 2015-16			
धनोरा	2015-16	सागौन वृक्षारोपण सिरवेल 694	25.00
धनोरा	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मुवास्या 652	25.00
पानसेमल	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मलगांव 741	50.00
पानसेमल	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मनकुई 777	50.00
वरला	2015-16	सागौन वृक्षारोपण बाखर्ली 403	50.00
योग . .			200.00
वर्ष 2016-17			
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII धामन्या 509	96.45
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII जूनापानी 498	139.45
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII दूगानी 521	172.21
वरला	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII महेन्द्रयापानी 534	222.02
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोगरियापानी 720	167.73
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII बायगौर 728	297.48
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII देवगढ 736	95.39
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII टेमली 744	210.84
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII पननाली 755	105.15
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII भडभडा 763	139.13
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII पिपलोद 774	117.79
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खडीखम 788	181.37
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII झेण्डियामाल 802	105.89
सेंधवा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोहाला 599	116.580
धनोरा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मुवास्या 652	96.13
धनोरा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII रामकुल्ला 636	89.04
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII उमरियापानी 427	197.05
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खोखरी 452	105.43

1	2	3	4
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खपाडा 457	138.29
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII अजगरिया 464	127.25
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII अडनदी 436	180.80
योग . .			3101.47
वर्ष 2016-17			
सेंधवा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII नवलपुरा 713	79.43
सेंधवा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII रोईखेडा 577	127.17
सेंधवा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वाक्या 606	81.6
सेंधवा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII आचली 597	119.66
पानसेमल	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII मलगांव 760	170.17
पानसेमल	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII मनकुई 775	301.15
पानसेमल	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सुलगांव 795	118.65
पानसेमल	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII राजमली 828	180.72
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सुरानी 614	106.200
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII कामोद 666	160.72
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सिरवेल 681	113.04
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII चाचरिया 620	208.70
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII धनोरा 692	181.29
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII शिवन्या 678	119.50
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII कोलकी 540	154.32
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII किरमला 512	268.51
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वरला 406	68.75
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वरला 407	35.95
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सोलवन 554	123.42
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII दुगानी 488	124.74
योग . .			2843.69
वर्ष 2016-17			
धवली	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII धवली 470	195.23
धवली	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII अम्बापानी 479	132.05
योग . .			327.28

1	2	3	4
वर्ष 2016-17			
वरला	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण खुटवाडी 404	35
वरला	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण महेन्द्रयापानी 546, 551	15
धनोरा	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण कडाउईपानी 614	50
योग . .			100.00
वर्ष 2016-17			
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण वासन्यापानी 776	50
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण मोंयदा 802	20
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण तालाब 805	30
धवली	2016-17	सागौन वृक्षारोपण खपाडा 458	25
धवली	2016-17	सागौन वृक्षारोपण खोखरी 459	25
योग . .			150.00
वर्ष 2017-18			
वरला	2017-18	आर. डी. एफ. VIII छतरीपड़ावा 516	112.81
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII भागलअम्बा 736	125.1
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII निलबावड़ी 745	172.45
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII उमरबेड़ा 764	166.3
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII वासन्यापानी 776	113.84
धनोरा	2017-18	आर. डी. एफ. VIII खुरमाबाद 637	157.16
धनोरा	2017-18	आर. डी. एफ. VIII भामपुरा 652	171.62
धवली	2017-18	आर. डी. एफ. VIII खपाड़ा 461	133.39
धवली	2017-18	आर. डी. एफ. VIII खोखरअम्बा 423	173.970
योग . .			1326.64
वर्ष 2017-18			
सेंधवा	2017-18	उर्जावन VIII गवाड़ी 809	130.31
धनोरा	2017-18	उर्जावन VIII कडाईपानी 614	95.27
पानसेमल	2017-18	उर्जावन VIII मनकुई 830	268.92
पानसेमल	2017-18	उर्जावन VIII उमरबेड़ा 760	152.6
पानसेमल	2017-18	उर्जावन VIII गोंदीकाचली 796	173.9
वरला	2017-18	उर्जावन VIII कोलकी 558	140.49
धवली	2017-18	उर्जावन VIII अजगरिया 480	91.34
धवली	2017-18	उर्जावन VIII धावड़ा 445	91.34
वरला	2017-18	उर्जावन VIII हिंगवा 566	5
योग . .			1149.17

1	2	3	4
वर्ष 2017-18			
पानसेमल	2017-18	केम्पामद कालापाट 706	20
सेंधवा	2017-18	केम्पामद तलाब 806	30
सेंधवा	2017-18	केम्पामद गवाड़ी 580	35
योग . .			85.00
वर्ष 2018-19			
वरला	2018-19	IX जूनापानी 495 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	110.01
वरला	2018-19	IX महेन्द्रयपानी 563 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	134.06
वरला	2018-19	IX दूगानी 518 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	133.21
पानसेमल	2018-19	IX देवगढ 737 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	70.65
पानसेमल	2018-19	IX पन्नाली 755 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	125
पानसेमल	2018-19	IX पिपलोद 776 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	123.29
पानसेमल	2018-19	IX झोंडियामाल 803 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	165.7
पानसेमल	2018-19	IX टेमली 745 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	123.05
धनोरा	2018-19	IX रामकोल्ला 637 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	99.52
धनोरा	2018-19	IX मुवास्या 646 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	231.49
धवली	2018-19	IX खपाडा 454 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	198.66
धवली	2018-19	IX अजगरिया 466 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	104.06
धवली	2018-19	IX उमरियापानी 422 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	72.44
धवली	2018-19	IX अडनदी 434 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	130.28
धवली	2018-19	IX खोखरी 453 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	80.23
योग . .			1901.65
वर्ष 2018-19			
सेन्धवा	2018-19	IX राईखेडा 579 उर्जावन	161.82
सेन्धवा	2018-19	IX आंचली 594 उर्जावन	116.46
सेन्धवा	2018-19	IX पाडली 694 उर्जावन	91.86
धनोरा	2018-19	IX कामोद 667 उर्जावन	149.77
धनोरा	2018-19	IX शिवन्या 631 उर्जावन	147.94
धनोरा	2018-19	IX धनोरा 690 उर्जावन	154.72
धनोरा	2018-19	IX चाचरियापाटी 624 उर्जावन	172.2
पानसेमल	2018-19	IX मलगावं 761 उर्जावन	154.33
पानसेमल	2018-19	IX मनकुई 780 उर्जावन	115.33
पानसेमल	2018-19	IX सुलगावं 796 उर्जावन	115.85
पानसेमल	2018-19	IX राजमली 810, 821 उर्जावन	236.900

1	2	3	4
वरला	2018-19	IX कोलकी 562 उर्जावन	82.77
वरला	2018-19	IX किरमला 527, 529 उर्जावन	142.73
वरला	2018-19	IX सोलवन 553 उर्जावन	139.44
धवली	2018-19	IX अम्बापानी 419 उर्जावन	100.48
धवली	2018-19	IX धवली 446 उर्जावन	100.48
पानसेमल	2018-19	तालाव 798 जलाउ एवं चारागाह	30
धनोरा	2018-19	कढाईपानी 614 जलाउ एवं चारागाह	20
वरला	2018-19	सोलवन 565 जलाउ एवं चारागाह	50
पानसेमल	2018-19	शिवनीपडावा 784 मिश्रित	25
धनोरा	2018-19	धावड़ा 695 मिश्रित	25
योग . .			2333.08
वर्ष 2019-20			
पानसेमल	2019-20	X सांपखड़की 753 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	98.8
पानसेमल	2019-20	X जामन्यापानी 777 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	139.7
पानसेमल	2019-20	X करणपुरा 729 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	10.00
पानसेमल	2019-20	X झंडिया कुंडिया 789 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	206.2
धनोरा	2019-20	X भामपुरा 650 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	179.43
धवली	2019-20	X सोनखेड़ी 418 पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	10
योग . .			1901.65
वर्ष 2019-20			
धनोरा	2019-20	X राजनगांव 629 उर्जावन	167.87
धनोरा	2019-20	X कड़ाईपानी 624 उर्जावन	97.96
पानसेमल	2019-20	X गोंदीकाचली 797 उर्जावन	177.43
पानसेमल	2019-20	X मांडवीपड़ावा 780 उर्जावन	154.67
पानसेमल	2019-20	X राजमली 816 उर्जावन	145.84
पानसेमल	2019-20	X ललवान्या 758 उर्जावन	262.06
धनोरा	2019-20	X मुवास्या 658 उर्जावन	141.2
योग . .			1147.03
वर्ष 2019-20			
पानसेमल	2019-20	X मलगांव 748 केम्पामद	51.76
योग . .			51.76

एस. एस. मेहता,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक, 20 अगस्त, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाने के पूर्व धारा-69 (3) के अंतर्गत] प्रति,

सदस्यगण द्वारा अध्यक्ष,
प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार,
मर्यादित, बहरी.

क्र./परि./2020/607.—प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, बहरी, पंजीयन क्र. 779, दिनांक 30 नवम्बर, 1999 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा उस पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन बंधनकारी है.

संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था द्वारा विगत वर्षों से कार्य व्यापार का संचालन बंद कर दिये जाने से अकार्यशील है.
2. संस्था सदस्यों की वार्षिक आमसभा का आयोजन न कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-49 का उल्लंघन किया गया है.
3. संस्था के वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा निर्धारित समयावधि 31 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
4. संस्था संचालक मण्डल के पांच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 04 जून, 2020 को समाप्त हो जाने के उपरांत भी संस्था द्वारा नियमानुरूप निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है.

अतः एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर लिखित में साक्ष्यों सहित यह बतावें कि उपरोक्त कारणों से क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन अंतर्गत लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने अथवा प्रस्तुत जवाब संतोष कारक न पाये जाने की स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को जारी किया गया.

(906)

सीधी, दिनांक, 22 अगस्त, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाने के पूर्व धारा-69 (3) के अंतर्गत] प्रति,

सदस्यगण द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति,
मर्यादित, तेंदुआ.

क्र./परि./2020/609.—महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, तेंदुआ पंजीयन क्र. 871, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा उस पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन बंधनकारी है.

संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था द्वारा कार्य व्यापार का संचालन बंद कर दिये जाने से विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.

2. संस्था सदस्यों की वार्षिक आमसभा का आयोजन न कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-49 का उलंघन किया गया है।
3. संस्था के वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा निर्धारित समयावधि 31 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. संस्था संचालक मण्डल के पांच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो जाने के उपरांत भी संस्था द्वारा नियमानुरूप निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर लिखित में साक्ष्यों सहित यह बतावें कि उपरोक्त कारणों से क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन अंतर्गत लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे।

समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने अथवा प्रस्तुत जवाब संतोष कारक न पाये जाने की स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को जारी किया गया।

(908)

सीधी, दिनांक, 20 अगस्त, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाने के पूर्व धारा-69 (3) के अंतर्गत] प्रति,

सदस्यगण द्वारा प्रशासक,
गरीब नवाज बुनकर सहकारी समिति,
मर्यादित, दुआरा कला।

क्र./परि./2020/610.—गरीब नवाज बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, दुआरा कला पंजीयन क्र. 1448, दिनांक 22 जुलाई, 2017 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा उस पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन बंधनकारी है।

संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था द्वारा पंजीयन उपरांत सदस्यों के हित में कार्य व्यापार प्रारंभ नहीं किया गया है अर्थात् संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है।
2. संस्था सदस्यों की वार्षिक आमसभा का आयोजन न कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-49 का उलंघन किया गया है।
3. संस्था के वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा निर्धारित समयावधि 31 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. संस्था द्वारा पंजीयन उपरांत संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु नियमानुरूप निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर लिखित में साक्ष्यों सहित यह बतावें कि उपरोक्त कारणों से क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन अंतर्गत लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे।

समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने अथवा प्रस्तुत जवाब संतोष कारक न पाये जाने की स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को जारी किया गया।

(909)

सीधी, दिनांक, 20 अगस्त, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाने के पूर्व धारा-69 (3) के अंतर्गत] प्रति,

सदस्य गण द्वारा अध्यक्ष,
गांधी दरी बुनकर सहकारी समिति,
मर्यादित, गांधीग्राम.

क्र./परि./2020/.....—गांधी दरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, गांधीग्राम पंजीयन क्र. 785, दिनांक 31 अगस्त, 2000 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा उस पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन बंधनकारी है.

संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कार्य व्यापार का संचालन किया जाना नहीं पाया जाता. संस्था अकार्यशीलता की स्थिति में है.
2. संस्था सदस्यों की वार्षिक आमसभा का आयोजन न कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-49 का उलंघन किया गया है.
3. संस्था के वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा निर्धारित समयावधि 31 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
4. संस्था संचालक मण्डल के पांच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो जाने के उपरांत भी संस्था द्वारा नियमानुरूप निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है.

अतः एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर लिखित में साक्ष्यों सहित यह बतावें कि उपरोक्त कारणों से क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन अंतर्गत लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे.

समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने अथवा प्रस्तुत जवाब संतोष कारक न पाये जाने की स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को जारी किया गया.

(910)

सीधी, दिनांक, 20 अगस्त, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाने के पूर्व धारा-69 (3) के अंतर्गत] प्रति,

सदस्य गण द्वारा प्रशासक,
रोजी बुनकर सहकारी समिति,
मर्यादित, हटवा देवार्थ.

क्र./परि./2020/.....—रोजी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, हटवा देवार्थ पंजीयन क्र. 1447, दिनांक 14 जुलाई, 2017 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा उस पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन बंधनकारी है.

संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था द्वारा पंजीयन उपरांत सदस्यों के हित में कार्य व्यापार प्रारंभ नहीं किया गया है अर्थात् संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.

2. संस्था सदस्यों की वार्षिक आमसभा का आयोजन न कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-49 का उलंघन किया गया है।
3. संस्था के वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा निर्धारित समयावधि 31 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. संस्था द्वारा पंजीयन उपरांत संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु नियमानुरूप निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर लिखित में साक्ष्यों सहित यह बतावें कि उपरोक्त कारणों से क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन अंतर्गत लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे।

समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने अथवा प्रस्तुत जवाब संतोष कारक न पाये जाने की स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को जारी किया गया।

(911)

सीधी, दिनांक, 20 अगस्त, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाने के पूर्व धारा-69 (3) के अंतर्गत] प्रति,

सदस्य गण द्वारा अध्यक्ष,

आदर्श ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति,

मर्यादित, कोटहा.

क्र./परि./2020/608—आदर्श ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, कोटहा पंजीयन क्र. 713, दिनांक 20 नवम्बर, 1995 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सहकारी संस्था है तथा उस पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन बंधनकारी है।

संस्था सदस्यों के अनुरोध पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/1012 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन से मुक्त करते हुये 06 माह के भीतर कार्य- व्यापार प्रारंभ करने, अंकेक्षण संपन्न कराने, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की सदस्यों की वार्षिक आमसभा का आयोजन करने तथा तीन माह के भीतर संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने की शर्त रखी गई थी। किन्तु संस्था द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जाना नहीं पाया जाता।

अतः एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर लिखित में साक्ष्यों सहित यह बतावें कि उपरोक्त कारणों से क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन अंतर्गत लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत समापक की नियुक्ति कर दी जावे।

समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने अथवा प्रस्तुत जवाब संतोष कारक न पाये जाने की स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को जारी किया गया।

वी. के. पाण्डेय,

उप-रजिस्ट्रार.

(907)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित

संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बालाजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., करैरा,	595/22-01-2013	2119/21-11-2019
2.	स्वायत महिला बहु. सह. संस्था मर्या., सीहर,	44/08-10-2003	2138/22-11-2019
3.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., जैतपुर,	124/28-08-2006	2139/22-11-2019
4.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., नया अमोला क्रमांक-2	627/13-08-2014	2131/21-11-2019
5.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., रलोमटा,	651/01-12-2015	1006/16-05-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 08 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी.

उमेश जैन,

सहकारी निरीक्षक.

(936)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सुंयक्त कृषि सह. संस्था मर्या., सेवड़ा,	7/25-02-1963	2105/21-11-2019
2.	निषाद राज मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., सिरसौद-करैरा,	592/18-12-2012	2129/21-11-2019
3.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., बारौठा,	46/10-10-2003	2128/21-11-2019
4.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., राजगढ़,	765/26-04-2017	2127/21-11-2019
5.	मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., रलोयटा,	555/01-10-2009	2112/21-11-2019
6.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., ढिगवास,	100/21-04-2007	2111/21-11-2019
7.	क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., करैरा,	563/28-04-2010	2110/21-11-2019
8.	चित्रांश प्रिंटिंग एवं सप्लायर्स सह. संस्था मर्या., करैरा	622/29-12-2015	2109/21-11-2019
9.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., टोडा करैरा,	99/21-07-2004	2108/21-11-2019
10.	ठीमर बाबा मत्स्योद्योग, सह. संस्था मर्या., सेमरी	594/11-01-2013	2132/21-11-2019
11.	जनता ओपन पान शक्कर कारखाना, सह. संस्था मर्या., करही	16/14-07-1966	2101/21-11-2019
12.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., समूह-नरवर,	730/08-02-2016	2108/19-11-2019
13.	सिद्ध नाथ प्राथ. उप. सह. संस्था मर्या., करैरा,	798/05-05-2017	2175/26-11-2019

1	2	3	4
14.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., कालीपहाड़ी,	755/26-04-2017	2006/19-11-2019
15.	बाबा भानगिकी प्राथ. उप. सह. संस्था मर्या., करैरा	795/05-05-2017	2959/18-12-2018
16.	फल, साग-भाजी उत्पादक सह. संस्था मर्या., दिनारा	458/14-09-2001	2238/3-12-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 17 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी.

(938)

सुधीर सिंह कुशवाह,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री राम औद्योगिक सह. संस्था मर्या., बदरवास	666/29-03-2016	2334/11-09-2011
2.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., विजयौली	491/19-04-2004	2313/11-09-2017
3.	पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., सेमई	355/21-06-1995	2329/11-09-2017
4.	आदर्श महिला बहु. सह. संस्था मर्या., भौती	782/04-05-2017	1850/03-09-2019
5.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पोहरी	109/20-07-1956	2314/11-09-2017
6.	आदर्श खाद बीज भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पोहरी	171/11-07-1955	2330/11-09-2017
7.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., भौती क्र.2	732/08-12-2016	1915/24-07-2017
8.	राज्य कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	143/7-07-1983	510/08-03-2016
9.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., भौती	731/08-12-2016	1913/24-07-2017
10.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	774/30-11-1991	511/08-03-2016
11.	राधाकृष्ण प्रिंटिंग एवं प्रशासन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	569/24-05-2011	2335/11-09-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 17 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी.

(940)

राकेश सिंह चौहान,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1936, शिवपुरी, दिनांक 24 जुलाई, 2017 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., करई	777/04-05-2017
2.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खटका	502/28-08-2004
3.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मेहरा	503/28-08-2004
4.	कृष्ण रोज नागरिक सहकारी बैंक मर्या., पोहरी	132/24-09-1947
5.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., केमई	716/08-09-2016
6.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा	717/08-09-2016
7.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., टोडा	723/20-09-2016
8.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बेरजा	725/20-09-2016
9.	आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., परिच्छा अहीर	692/29-08-2016
10.	आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., घोरिया	705/02-09-2016
11.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., ढगोसा	739/01-03-2017
12.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पिपरधार	738/01-03-2017
13.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खोदा	737/01-03-2017
14.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कपराना	719/20-09-2016
15.	बीज उत्पादक क्रय एवं विक्रय सहकारी संस्था, ककरौआ	547/18-05-2009
16.	अल्प संख्यक महिला बहु. सह. संस्था मर्या., पोहरी	695/29-08-2016
17.	पलास बचत सहकारी संस्था मर्या., पोहरी	395/13-08-1997
18.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बूडदा	721/20-09-2016
19.	आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., जौराई	681/7-08-2016
20.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., झिरी	764/26-04-2017
21.	अखाधतेल उत्पादक एवं साबुन उद्योग सह. संस्था, भटनावर	122/5-01-1963
22.	ऊन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भटनावर	174/19-06-1965
23.	आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., ऐचवाडा	694/29-06-2016
24.	श्रमिक आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	538/02-07-2007
25.	खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा	664/03-02-2016
26.	आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खुटेला	709/03-09-2016
27.	आदर्श मेडीकल स्टोर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	776/01-05-2017
28.	जय महावीर स्वामी प्राथ.उप. सह.भण्डार, शिवपुरी	784/04-05-2019

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वह संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखितरूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय दोपहर 12 से 02 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त अकेक्षण सहकारिता, जिला शिवपुरी न्यू ब्लॉक वशिष्ठ भवन शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव इस खण्ड के अधीन विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 15 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(943)

पी. बंसल,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विवेकानन्द सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	800/05-05-2017	2099/21-11-2019
2.	विकास महिला बहुउद्देशी सहकारी संस्था, वनगुवाँ करैरा	58/23-12-2003	2102/21-11-2019
3.	आदर्श मत्स्यउद्योग सहकारी संस्था, छत्तरपुर	622/06-02-2014	2145/22-11-2019
4.	धाय महादेव बीज उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., खोड़	576/06-02-2013	2133/21-11-2019
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नया बलारपुर	733/08-12-2016	2107/21-11-2019
6.	श्रीराम मत्स्यउद्योग सहकारी संस्था, तिजारपुर	587/16-09-2011	2136/22-11-2019
7.	आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., बांसखेड़ी	665/03-02-2016	2122/21-11-2019
8.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था, बामौरकलां	102/23-09-1961	2130/21-11-2019
9.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सलैया डामरौन	57/23-12-2003	2141/22-11-2019
10.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सावौली नरवर	35/05-09-2013	2027/19-11-2019
11.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., अनभौरा	408/01-03-1968	1999/19-11-2019
12.	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मेहरा	511/09-06-2005	1998/19-11-2019
13.	इंदिरा आदिवासी वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बीलवरा खुर्द	181/12-05-1966	1997/19-11-2019
14.	जय शिव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी	688/06-05-2016	1995/19-11-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी।

(944)

मनोज श्रीवास्तव,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदिवासी खनिज सह. संस्था मर्या., शिवपुरी	403/26-12-1997	2123/21-11-2019
2.	महादेव अनु. जाति एवं जनजाति खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., करैरा.	407/04-02-1998	2118/21-11-2019
3.	सवरी महिला गृह उद्योग सह. संस्था मर्या., शिवपुरी	481/11-09-2003	2104/21-11-2019
4.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., फूलपुर-नरवर	116/28-08-2004	2149/22-11-2019
5.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सुनारी	117/03-09-2004	2150/22-11-2019
6.	प्राथ. कृषि सह. संस्था मर्या., नरैयाखैडी	1799/26-02-21	2120/21-11-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 17 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी.

(945)

रमेश जैन,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जय माँ कैलादेवी अनु. जाति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., काठी नया अमोला क्र.4	588/19-09-2011	2113/21-11-2019
2.	माधव महिला बहु. सह. संस्था मर्या., दिनारा	462/05-03-2002	2114/21-11-2019
3.	आदर्श चर्मोद्योग सह. संस्था मर्या., करैरा	115/18-08-1962	2115/21-11-2019
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तिधरी	507/01-12-2004	2147/22-11-2019
5.	महाबली खनिज मजदूर सहकारी संस्था मर्या., पिछोर	560/05-01-2010	2137/22-11-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 17 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी।

लोकेश शर्मा,

(946)

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रामनगर	114/28-08-2004	2148/22-11-2019
2.	फुडतला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फुडतला	803/5-05-2017	2961/18-12-2018
3.	राजीव गाँधी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर	302/3-01-1995	2953/18-12-2018
4.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मुढेवी नरवर	706/3-09-2016	1588/03-09-2019
5.	राठौर तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवर	10/23-10-1960	1572/03-09-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 17 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी।

पारथ दुबे,

(947)

सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	साई बाबा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	197/26-10-1988	696/6-04-2016
2.	अनु. जाति श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., भौती	316/22-04-1995	1670/8-11-2013
3.	आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., तारेकखडी केनाणी, शिवपुरी	514/6-08-2005	1821/5-12-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी.

सी. एल. मौर्य,

ए. ओ.

(948)

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 04 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/361.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/467, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक आश्रय साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 05 फरवरी, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय को निरस्त करता हूँ.

आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(949)

बड़वानी, दिनांक 04 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/362.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2016/362, बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के द्वारा परिसमापक हिमालय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मण्डवाड़ा, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय को निरस्त करता हूँ.

आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(950)

बड़वानी, दिनांक 04 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/363.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/924, बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के द्वारा परिसमापक

वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलवाड़ा बुजुर्ग, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय को निरस्त करता हूँ।

आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(951)

बड़वानी, दिनांक 04 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/364.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/480, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., केशरपुरा, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 419, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय को निरस्त करता हूँ।

आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(952)

बड़वानी, दिनांक 04 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/365.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/1200, बड़वानी, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के द्वारा परिसमापक न्यूश्री नाथ साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 459, दिनांक 05 फरवरी, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय को निरस्त करता हूँ।

आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(953)

बड़वानी, दिनांक 04 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/366.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2016/846, बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016 के द्वारा परिसमापक महालक्ष्मी ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., तलवाड़ाबुजुर्ग, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 773, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय को निरस्त करता हूँ.

आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(954)

बड़वानी, दिनांक 04 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/367.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2017/449, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापक आदर्श व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 383, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय को निरस्त करता हूँ.

आज दिनांक 04 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

संजयसिंह आर्य,

सहायक पंजीयक.

(955)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला

कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, पंजी. क्रमांक 817, दिनांक 22 अप्रैल, 2010 विकास खण्ड नैनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2469, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन दिनांक 29 जून, 2020 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(956)

जग जाबो साख सहकारी समिति मर्यादित, हरीटोला, पंजी. क्रमांक 1375, दिनांक 01 मार्च, 2014 विकास खण्ड मवई को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपम/परि./2017/261 मण्डला दिनांक 04 मार्च, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मवई को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 29 जून, 2020 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं।

अतः मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(957)

कृषि उपज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, मसना, पंजी. क्रमांक 865, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 विकासखण्ड मवई को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपम/परि./2018/1429, मण्डला, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मवई को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 29 जून, 2020 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं है।

अतः मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

(958)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, निवारी, पंजी. क्रमांक 853, दिनांक 26 मार्च, 2012 विकासखण्ड नैनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपम/परि./2013/665, मण्डला, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 29 जून, 2020 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं।

अतः मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

राजेश उइके,

(959)

सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/489.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा जय माँ शारदा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या. घोरौली, तहसील बैदैन, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) जय माँ शारदा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., घोरौली, तहसील बैदुन, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(960)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/490.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झरकटा, तहसील व जिला सिंगरौली पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 10 जनवरी, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झरकटा, तहसील व जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(961)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/491.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/603, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के द्वारा गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ओड़गड़ी, तहसील व जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 210, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ओड़गड़ी, तहसील व जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(962)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/492.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/397, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शेरवा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 274, दिनांक 14 जुलाई, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शेरवा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(963)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/493.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/397, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिनगो, तहसील व जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 14 जुलाई, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिनगो, तहसील व जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(964)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/494.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/127, दिनांक 23 जनवरी, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धरौली, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) महिला दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धरौली, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(965)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/495.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/397, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजनी, तहसील व जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 268, दिनांक 14 जुलाई, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजनी, तहसील व जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(966)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/496.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/397, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गन्ई, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 293, दिनांक 14 जुलाई, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गन्ई, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली, का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(967)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/497.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/623, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजमिलान, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 27 अगस्त, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजमिलान, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(968)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/498.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/750, दिनांक 23 जनवरी, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिधेर, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली पंजीयन क्रमांक 73, दिनांक 19 अप्रैल, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. डी. बघेल, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिधेर, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(969)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/499.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/127, दिनांक 23 जनवरी, 2016 के द्वारा कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., औड़गाड़ी, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 22 नवम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. डी. बघेल, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., औड़गड़ी, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(970)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/500.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/127, दिनांक 23 जनवरी, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घिनहागांव, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली पंजीयन क्रमांक 69, दिनांक 24 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. डी. बघेल, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घिनहागांव, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(971)

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/501.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/127, दिनांक 23 जनवरी, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोखरा, तहसील देवसर जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 66, दिनांक 23 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. डी. बघेल, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. के पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोखरा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

व्ही. के. पाण्डेय,
उप-पंजीयक.

(972)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलियासीर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 156, दिनांक 21 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलियासीर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. दीपिका केमा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि कु. दीपिका केमा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(973)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बायड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 157, दिनांक 21 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बायड़ी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(974)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नामली, जिसका पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 27 जून, 1979 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 51, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नामली को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री वे. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(975)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलौदी, जिसका पंजीयन क्रमांक 726, दिनांक 07 जुलाई, 1998 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 53, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलौदी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(976)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडागोटडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 19 सितम्बर, 2005 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 54, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडागोटडा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(977)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावाखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 481, दिनांक 07 नवम्बर, 1988 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 55, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावाखुर्द को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(978)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रितमनगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 07 नवम्बर, 1988 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय

द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 56, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रितमनगर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. दीपिका केमा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि कु. दीपिका केमा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(979)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आकतवासा, जिसका पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 30 जून, 1994 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 57, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आकतवासा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(980)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनेरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 992, दिनांक 07 फरवरी, 2015 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 72, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनेरी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(981)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आनाखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 28 मार्च, 2014 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 59, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आनाखेड़ी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(982)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माल्याताल, जिसका पंजीयन क्रमांक 974, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 73, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माल्याताल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(983)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सागोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 74, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सागोद को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(984)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भूतियाकला, जिसका पंजीयन क्रमांक 956, दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 75, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भूतियाकला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(985)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

दिव्य निर्माण समाज साख सहकारी संस्था मर्या., नामली, जिसका पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 1397, दिनांक 15 जुलाई, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये दिव्य निर्माण समाज साख सहकारी संस्था मर्या., नामली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(986)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

विष्णुपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 400, दिनांक 31 मई, 1986 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के पालन में संस्था के निर्वाचन संपादित कराना थे किन्तु निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार संस्था निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं दे रही है तथा निर्वाचन कराने में उपेक्षावान रही है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 155, दिनांक 21 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये विष्णुपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(987)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

हर-हर गंगे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बंजली, जिसका पंजीयन क्रमांक 796, दिनांक 04 अगस्त, 2004 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 63, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये हर-हर गंगे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बंजली को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(988)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

भोलेनाथ बीज सहकारी संस्था मर्या., बरबोदना, जिसका पंजीयन क्रमांक 990, दिनांक 23 जनवरी, 2015 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 64, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये भोलेनाथ बीज सहकारी संस्था मर्या., बरबोदना को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(989)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

माँ कालिका बीज सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, जिसका पंजीयन क्रमांक 985, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 65, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये माँ कालिका बीज सहकारी संस्था मर्या., धामनोद को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(990)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

जागृति बीज सहकारी संस्था मर्या., बिलन्दपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 27 मई, 2013 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 66, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये जागृति बीज सहकारी संस्था मर्या., बिलन्दपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(991)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

माँ अम्बिका बीज सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 67, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये माँ अम्बिका बीज सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(992)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

जय अम्बे स्टोन क्रेशर सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 31 मार्च, 1999 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 68, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये जय अम्बे स्टोन क्रेशर सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(993)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

हरीजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 02 जून, 1955 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 80, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये हरीजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(994)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

डॉ. अम्बेडकर लेबर कान्ट्रेक्ट सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक 14 मई, 2008 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष में प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 81, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये डॉ. अम्बेडकर लेबर कान्ट्रेक्ट सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(995)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

बालाजी फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., बंजली, जिसका पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 03 नवम्बर, 2001 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 76, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये बालाजी फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., बंजली को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(996)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

विवेकानंद फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., कालूखेडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 730, दिनांक 01 जनवरी, 1999 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबंधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 77, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये विवेकानंद फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., कालूखेडा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(997)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

अन्नपूर्णा साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., बिरमावल, जिसका पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 78, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये अन्नपूर्णा साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., बिरमावल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आशीष लोहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आशीष लोहरा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(998)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

सरदार पटेल फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., तितरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 27 फरवरी 2013 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 79, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये सरदार पटेल फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., तितरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आशीष लोहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आशीष लोहरा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(999)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

प्राथमिक आजीविका सहकारी संस्था मर्या., सेमलियारूण्डी, जिसका पंजीयन क्रमांक 829, दिनांक 20 जून, 2005 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 94, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये प्राथमिक आजीविका सहकारी संस्था मर्या., सेमलियारूण्डी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. एल. उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1000)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

कालुकहार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., लोचीतारा (खड़कपाडा), जिसका पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 10 जून, 2001 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 01, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये कालुकहार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., लोचीतारा (खड़कपाडा) को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1001)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

राजलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 28 मार्च, 2014 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 82, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये राजलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री कमल बुन्देला, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री कमल बुन्देला, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1002)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्षेत्रीय उत्थान सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 27 मई, 2013 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 85, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये क्षेत्रीय उत्थान सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(1003)

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये प्रियदर्शनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जावरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. (1007)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 762, दिनांक 26 मार्च, 2001 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 82, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. (1008)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

माँ अम्बे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जुलवानिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 846, दिनांक 04 जुलाई, 2007 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 93, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये माँ अम्बे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जुलवानिया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री कमल बुन्देला, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री कमल बुन्देला, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. (1009)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

स्वास्तिक वेयर हाउसिंग सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिसका पंजीयन क्रमांक 758, दिनांक 11 जनवरी, 2001 है. इस आदेश में आगे संस्था शब्द से संबोधित किया जायेगा. अंकेक्षण कक्ष से प्रस्ताव अनुसार संस्था अकार्यशील है तथा “डी” वर्ग से वर्गीकृत है. इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 69, दिनांक 08 जनवरी, 2019 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र से सहमत है इसी आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये स्वास्तिक वेयर हाउसिंग सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. सी. मोदी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. सी. मोदी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

परमानन्द गोडरिया,

उप-रजिस्ट्रार.

(1010)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2020-भाद्र 27, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

निरंक